

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25042022-235350
SG-DL-E-25042022-235350असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/ वैशाख 5, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 43
No. 2]	DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944	[N. C. T. D. No. 43

भाग III
PART IIIराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIदिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
शुद्धिपत्र

दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

सं. फा. 11(1938)/डीईआरसी/2021-22/7263/196.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम 2022, एनसीटीडी नं. 472, दिनांकित 24.02.2022 को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-III, द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस विनियम के हिन्दी संस्करण में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्नलिखित शुद्धिपत्र के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है:

पृष्ठ 2 में विनियम 6 (1);

अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पास इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून, प्रबंधन, प्रशासन या उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं के मामलों से निपटने का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारी हो।

परन्तु चार सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से एक सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और एक सदस्य तकनीकी होगा।

को पढ़ा जाये

अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पास इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून, प्रबंधन, प्रशासन या उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं के मामलो से निपटने का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारी हो।

परन्तु पांच सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से एक सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और एक सदस्य तकनीकी होगा।

3. यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

मुकेश वाधवा, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

CORRIGENDUM

Delhi, the 25th April, 2022

No. F. 11(1938)/DERC/2021-22/7263/196.—Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2022 have been notified vide Delhi Gazette Extraordinary Part-III dated 24 February, 2022, NCTD No. 472.

2. Whereas certain discrepancies have been observed in the Hindi version of the said Regulations, which need to be rectified by issuing following corrigendum:

At page 2 under Regulation 6 (1)

For

अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पास इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून, प्रबंधन, प्रशासन या उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं के मामलो से निपटने का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारी हो।

परन्तु चार सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से एक सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और एक सदस्य तकनीकी होगा।

Read

अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिस के पास इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून, प्रबंधन, प्रशासन या उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं के मामलो से निपटने का कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारी हो।

परन्तु पांच सदस्यों (अध्यक्ष सहित) में से एक सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और एक सदस्य तकनीकी होगा।

3. This Corrigendum is issued with the approval of the Commission.

MUKESH WADHWA, Secy.